

# उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

पत्र संख्या :-103 / 2021

दायर दिनांक: 26.07.2021

GCMS NO:- 2021/182

पीठासीन अधिकारी :-शयोराम (आर.ए.एस.)


पुरुषोत्तम पुत्र मुलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी करवर हाल निवासी कोटा।

-प्रार्थी-

## बनाम

1. कैलाश बाई पत्नी रामरतन जाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
2. मोती पुत्र लोडक्या जाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
3. रामरतन पुत्र देवाजाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
4. कजोड पुत्र कालू जाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
5. हरिराम पुत्र जयरामजाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
6. विमला पत्नी कमलेशजाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
7. मोहित पुत्र कमलेश नाबालिग जयवली माता विमलाजाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
8. गंगाबाई पुत्री अमरा पत्नी रामकुवारजाति बैरवा निवासी पीपल्या तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
9. गिरिराज पुत्र अमरा जाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
10. जगदीश पुत्र कस्तूराजाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
11. तेजमल पुत्र अमराजाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
12. धोला बाई पुत्री अमरा पत्नी गोपालजाति बैरवा निवासी खंजूरी तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
13. भंवरलाल पुत्र बजरंगा जाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
14. मु० मोत्या पत्नी बजरंगाजाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
15. मनीष पुत्र जयरामजाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
16. अर्जुन पुत्र मोती जाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
17. हरिराम पुत्र मोतीजाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
18. कस्तुरी पत्नी मोती जाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
19. राजाराम पुत्र अमरा जाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
20. राधाकिशन पुत्र जाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
21. रामकुवार पुत्र रुघनाथजाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
22. रामकिशन पुत्र अमरा जाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
23. रामजीलाल पुत्र अमरा जाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
24. राजकुमार पुत्र सोजीरामजाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
25. महावीर पुत्र सोजीराम जाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
26. रानी बाई पत्नी सोजीरामजाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

Reader/Decesion/2021



उपखण्ड अधिकारी  
नैनवाँ (बून्दी)

Page 261

परिशंकर पुत्र नाथूजाति बैरवा निवासी कैथुदा तहसील नैनवां जिला बून्दी।  
भू-स्वामी जयें तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

—प्रत्यार्थीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति-

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण


निर्णय दिनांक 23.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम कैथुदा पटवार मण्डल कैथुदा तहसील नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे की भूमि खाता संख्या 79 खसरा संख्या 1134 रकबा 2.0063 हैक्टेयर तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के खाते व कब्जे की भूमि खसरा संख्या 1135 रकबा 2.0630 है 0 व खसरा संख्या 1136 रकबा 1.1326 है 0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.1956 है 0 भूमि स्थित है। यह कि ग्राम कैथुदा पटवार मण्डल कैथुदा तहसील नैनवां में अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 27 के खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा संख्या 1159 रकबा 1.1488 है 0 भूमि स्थित है। इसी जमाबन्दी में दर्ज खातेदार कन्या, कमलेश, मोती व सोजीराम का स्वर्गवास हो चुका है। कन्या के वारिसान अप्रार्थी संख्या 5, कमलेश के वारिसान अप्रार्थी संख्या 6,7, मोती के वारिसान अप्रार्थी 16,17,18 तथा सोजीराम के वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 24,25,26 है। यह कि ग्राम कैथुदा पटवार मण्डल कैथुदा तहसील नैनवां में खसरा संख्या 1160 रकबा 0.1052 है 0 सिवायचक बंजड भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे की भूमि खाता संख्या 79 खसरा संख्या 1134 की भूमि में आने जाने व गाडी बेल, ट्रेक्टर-ट्राली व कृषि उपज लाने के लिये नैनवां से इन्द्रगढ जाने वाले पक्की सडक खसरा संख्या 1164 से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते खसरा संख्या 1154 जो ग्राम कांकरिया जाने वाला है, में होकर खसरा संख्या 1136 व 1159 के बीच की मेर के दानों तरफ, उसके बाद आगे खसरा संख्या 1136 व 1160 के बीच की मेर के दोनों तरफ होकर जाता है जो गै 0 मु 0 खाल संख्या 1162 तक है। उसके बाद प्रार्थी अपने खाते के खेत खसरा संख्या 1134 में आता जाता है। जिसे परिशिष्ट "अ" में अ से ब बिन्दू के मध्य लाल लाईनों से दर्शाये गया है। जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी सदैव से करता चला आ रहा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। यह कि रास्ता नक्शा ट्रेस में अंकन नहीं होने के कारण प्रत्यार्थीगण प्रार्थी को उक्त रास्ते में होकर निकलने से मना करने लगे व लडाईं झगडा करने को तैयार हो गये। यह प्रार्थना पत्र का कारण है। अतः प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिये 13 फिट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा में कायम करवाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ, नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ-पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा संख्या 1137, 1159 व 1160 में से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी की भूमि तक पहुंचने हेतु कोई रास्ता रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः इसके लिए रास्ता खसरा संख्या 1159 रकबा 1.1488 है 0 में से 76 गड्ढा • 2 गड्ढा = 0.0616 है 0 तथा खसरा संख्या 1160 रकबा 0.1052 है 0 में से 3 गड्ढा • 2 गड्ढा = 0.0024 है 0 भूमि दिया जाना प्रस्तावित है जो प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1134 में पहुंचता है। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में खसरा संख्या 1159 में दक्षिण की मेड से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बिन्दू A से B लाल स्याही से डोटेड लाईनों में दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट कैथुदा में पेश हुई। उपस्थित

Reader/Decesion/2021




उपखण्ड अधिकारी  
नैनवां (बून्दी)

Page 262

की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता जाना उचित बताया है। ग्राम कैथूदा पटवार मण्डल कैथूदा तहसील नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी व की भूमि खाता संख्या 79 खसरा संख्या 1134 रकबा 2.0063 हैक्टेयर भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 1159 रकबा 1.1488 है० में से 76 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 0.0616 है० तथा खसरा संख्या 1160 रकबा 0.1052 है० में से 3 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 0.0024 है० भूमि का प्रस्तावित रास्ता, जिसे परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से डोटेड लाईन द्वारा अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ट को परिशिष्ट 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नैनवां (बूंदेलखंड)

